

विदेशी हस्तक्षेप की रिपोर्ट कैसे करें

न्यूज़ीलैंड के जातीय समुदायों को विदेशी हस्तक्षेप को सहन करने की जरूरत नहीं है। आप नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके विदेशी हस्तक्षेप की रिपोर्ट कर सकते हैं।

आपातकालीन स्थिति में

अगर अभी [आपके साथ] ऐसा हो रहा है तो 111 नंबर पर फोन करें और पुलिस की मांग करें।

यदि आप [उस समय फोन पर] बात नहीं कर सकते और आप सेल फोन पर बात कर रहे हैं, तो चुप रहें और '55 दबाएं' के संकेत को सुनें।

यदि आप बात नहीं कर सकते हैं और आप लैंडलाइन फोन पर हैं, तो चुप रहें और ऑपरेटर की बात सुनें जो आपको मदद के लिए कोई भी बटन दबाने के लिए कहेंगे।

विदेशी हस्तक्षेप की रिपोर्ट करना

हम सभी NZSIS (न्यूज़ीलैंड की प्राथमिक राष्ट्रीय खुफ़िया एजेंसी) या पुलिस को रिपोर्ट करके न्यूज़ीलैंड को विदेशी हस्तक्षेप से सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनमें से कौन सा तरीका चुनते हैं, वे सुनिश्चित करेंगे कि आपकी जानकारी सही जगह पर पहुंचे।

NZSIS (न्यूज़ीलैंड की प्राथमिक राष्ट्रीय खुफ़िया एजेंसी) को विदेशी हस्तक्षेप की रिपोर्ट करना

आप NZSIS की वेबसाइट पर एक सुरक्षित ऑनलाइन [फॉर्म](#) का उपयोग करके विदेशी हस्तक्षेप की रिपोर्ट कर सकते हैं।

यदि आप नहीं चाहते तो आपको अपना नाम, फोन नंबर या संपर्क विवरण जैसी व्यक्तिगत जानकारी देने की जरूरत नहीं है। आप इस फॉर्म को अपनी भाषा में भी भर सकते हैं।

यदि आप NZSIS में किसी से बात करना चाहते हैं, तो आप उन्हें +64 4 472 6170 नंबर पर या 0800 747 224 नंबर पर फोन कर सकते हैं।

जब NZSIS आपकी रिपोर्ट को देखेंगे तो वे इसकी जाँच करेंगे। यदि आप अपना संपर्क विवरण छोड़ते हैं, तो अधिक जानकारी की आवश्यकता होने पर ही NZSIS द्वारा आपसे संपर्क किया जायेगा। यदि NZSIS आपसे संपर्क नहीं करते, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने आपकी रिपोर्ट को अनदेखा कर दिया है।

पुलिस को विदेशी हस्तक्षेप की रिपोर्ट करना

यदि यह आपातकालीन स्थिति नहीं है, तो आप पुलिस से निम्न तरीके से संपर्क कर सकते हैं:

- 105 ऑनलाइन [फॉर्म](#) का उपयोग करके
- किसी भी मोबाइल या लैंडलाइन फोन से [105](#) नंबर पर फोन करके, यह सेवा मुफ्त है और देश भर में 24/7 (हर दिन 24 घंटे) उपलब्ध है।

105 फॉर्म में आपकी कुछ व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है, ताकि पुलिस को आपकी रिपोर्ट पर कार्रवाई करने और आपसे संपर्क करने में मदद मिल सके। पुलिस इस जानकारी का उपयोग केवल अनुमति प्राप्त उद्देश्यों के लिए ही करती है।